

26.02.2021

पत्रावली पैश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/परीक्षण किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के हक आधिपत्य की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पंथरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्यायिक दृष्टिकोण से स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।



प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण
स्वीकार किया जाकर, विस्तृत निर्णय पृथक से
लिखवाया जाकर, सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तलगाकलाँ (भीलवाडा) राज.